Print

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
PD, लोक निर्माण विभाग , SAMBHAL

प्रमाणपत्र क्रमांक : UPPWD/2021-2022/10008106 दिनांकः-05/01/2022

सेवा में,

TORRENT GAS PVT LTD
chandausi badayun road,SHAMBHAL,244412

विषयः- एन0एच0-93 चन्दौसी बाईपास किमी 192.320 से 197.450 वाया चन्दौसी टाउन मार्ग पर Gas Pipeline डालने हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- आवेदन क्रमांकः-PWD10008106

महोदय,

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	कटिंग की जाने वाली मार्ग की चैनेज/स्थल का विवरण	कटिंग की जाने वाली सतह का प्रकार	मात्रा	यूनिट
1	एन0एच0-93 चन्दौसी बाईपास किमी 192.320 से 197.450 वाया चन्दौसी टाउन मार्ग	Kaccha Part	0.0000-3.00	60	M^2
2	एन0एच0-93 चन्दौसी बाईपास किमी 192.320 से 197.450 वाया चन्दौसी टाउन मार्ग	Interlocking Tiles	0.0000-0.0000	0	M^2
3	एन0एच0-93 चन्दौसी बाईपास किमी 192.320 से 197.450 वाया चन्दौसी टाउन मार्ग	SDBC	0.0000-0.0000	0	M^2
4	एन0एच0-93 चन्दौसी बाईपास किमी 192.320 से 197.450 वाया चन्दौसी टाउन मार्ग	BC	0.0000-0.0000	0	M^2
5	एन0एच0-93 चन्दौसी बाईपास किमी 192.320 से 197.450 वाया चन्दौसी टाउन मार्ग	Mastic Concrete	0.0000-0.0000	0	M

TORRENT GAS PRIVATE LIMITED
09/02/22

<u>शर्तें :-</u>

- कटिंग का कार्य मार्ग के मध्य भाग से कम से कम 13.00 मी० की दूरी अथवा कच्चे भाग में मार्ग की सतह से 1.50 मी० की गहरायी पर ही डाली जायेगी। इससे अधिक कार्य कदापि नहीं कराया जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित सहायक अभियन्ता को लिखित सूचना देनी होगी एव उक्त कार्य की ड्राईंग एवं सेक्शन तथा गहराई की जानकारी सम्बन्धित

सहायक अभियन्ता को देनी होगी। रोड कटिंग का मलबा लेपित मार्ग पर एकत्रित न करके, कार्य इस प्रकार कराया जाये कि यातायात में बाधा उत्पन्न न हो।

- सभी प्रकार के सुरक्षात्मक उपाय, जैसे वैरिकेडिंग, झन्डी, लालटेन आदि की व्यवस्था आप स्वयं करेंगे।
- यातायात के सुगम संचालन हेतु ट्रैफिक पुलिस से समन्वय स्थापित कर कार्य कराना होगा कार्य स्थल पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- मार्ग के जंकशन आदि पर यदि किसी अन्य विभाग / संस्था की भूमि पड़ती है तो उसकी अनुमति सम्बन्धित विभाग से अलग से लेनी होगी।
- इस मार्ग पर अन्य विभागों की केबिल / पाइप लाइन आदि बिछी हो सकती हैं. कार्य इस प्रकार कराया जाये कि उन्हें कोई क्षति न पहुंचे। उन विभागों से एन०ओ०सी० प्राप्त करने एवं किसी प्रकार की क्षति के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगें।
- वाटर, सीवर, गैस एवं बिजली आदि की लाईन पड़ने पर उसे कोई क्षति न पहुंचे। उन विभागों से एन०ओ०सी० प्राप्त करने एवं क्षति के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- यदि भविष्य में मार्ग का चौड़ीकरण / सुदृढीकरण के कार्य में यदि पाइप लाइन / केविल क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो किसी प्रकार का क्लेम मान्य नहीं होगा एवं पाइप लाइन / केबिल को स्वयं के खर्चे पर स्थानान्तरित करायेगा।
- कार्य इस खण्ड के सहायक अभियन्ता की देख-रेख में इस प्रकार सम्पन्न कराया जाये जिससे लोक निर्माण विभाग के मार्ग को कसी प्रकार की क्षति न हो, अन्यथा की स्थिति में सभी प्रकार की क्षति की भरपाई आपसे की जायेगी।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आई०जी०एल० अथवा नेचुरल गैस विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी कि निर्माण कार्य करते समय आई०जी०एल० अथवा नेचुरल गैस की पाइप लाइन को किसी प्रकार की क्षति न हो। यदि आई०जी०एल० की पाइप लाइन को किसी प्रकार की क्षति होती है तो भारत का राजपत्र में वर्णित The petroleum and natural gas regulatory board act 2006 Dt. 31-05 06 में वर्णित किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिये आप स्वयं उत्तदायी होगें। मार्ग पर दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन अथवा किसी अन्य विभाग की लाइनें अगर हों तो उनसे एन०ओ०सी० प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य सम्पादित कराया जाये।
- उपरोक्त कार्य को करने हेतु यह अनुमति अधिकतम तीन माह (अनुमति जारी होने की तिथि से) के लिए मान्य होगी। यदि किसी कारणवश कार्य निर्धारित समय में पूर्ण नहीं कराया जाता है तो उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु समयवृद्धि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से अलग से निर्गत की जायेगी।
- आरक्षित / संरक्षित वन क्षेत्र के अधीन कार्य करने पर वन विभाग से अपने स्तर से एन०ओ०सी० प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना होगा।
- यह अनुमति मात्र आवेदन में अंकित मार्ग के चैनेज के लिए ही मान्य होगी।
- उपरोक्त कार्य के पूर्ण होने की सूचना/प्रमाण पत्र आप चरण बार अधोहस्ताक्षरी को देंगे जिससे इसकी मरम्मत का कार्य चरण बार ही किया जा सकें। अगर विभाग द्वारा मरम्मत करने के पश्चात आप द्वारा मार्ग पर पुनः कार्य किया जाता है तो उसकी अनुमति अलग से लेनी होगी।
- एन०ओ०सी० जारी होने के उपरांत 7 दिन के भीतर कार्य प्रारम्भ करना तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित अवधि से लोक निर्माण विभाग को अवगत कराना अनिवार्य होगा
- उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन करने पर उपरोक्त अनुमति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

Digitally Signed By
(Krishan Vir)
0E7F68E45DCCCCF968125E55CFAE6CBBF6E04F62
Date: 05/01/2022 5:19:26 PM, Location: SAMBHAL.

अधिशासी अभियन्ता,
PD, लो0नि0वि0,SAMBHAL